

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध(पैक्स)-04/2012

855

खाद्य, पटना/दिनांक-

13/2/2012

प्राप्त सं० 48
27-2-12



जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सभी जिला पदाधिकारी ।

दिनांक- 17.11.2011 को राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में पैक्स के अध्यक्षों द्वारा जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति के संबंध में उठाये गये विषय पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 5652, दिनांक- 23.11.2011 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक- 17.11.2011 को अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के अवसर पर आयोजित पैक्स अध्यक्षों के सम्मेलन में निम्नांकित बिन्दु उठाये गये :-

- (i) कई जिला में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन देने के बाद भी अभी तक अनुज्ञप्ति नहीं मिला है ।
- (ii) पैक्स अध्यक्षों द्वारा अनुरोध किया गया कि जहाँ रिक्तियाँ नहीं है वहाँ भी पैक्सों से आवेदन प्राप्त किये जाये ।
- (iii) अनुज्ञप्ति मिलने के बाद भी उन्हें अभी तक खाद्यान्न एवं किरासन तेल का आवंटन नहीं दिया गया है, जिससे वे अभी तक दुकान संचालित नहीं कर पा रहे हैं ।
- (iv) पैक्सों को अत्यन्त कम यूनिट आवंटित किया गया है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पैक्सों के लिए लाभप्रद नहीं है ।

(2) सहकारिता विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि सरकार के घोषित नीति के अनुरूप पैक्सों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ उपलब्ध कराते हुए पैक्सों द्वारा उठाये गये उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाय ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

पत्रांक 149/आ० दिनांक 15/3/2012

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी प्रध/पुरा, उपाधिकृत गंज के सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जिला आयुक्त पदाधिकारी
प्रध/पुरा,
13/3/12